

पर्चा डिकी

अ.आदेश 20 नियम 6-7 ब्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :- श्री संजय कुमार आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या :- 265/2021 अन्तर्गत धारा 53, 188 आरटीएक्ट

कमला पत्नी लेखराम जाति नायक निवासी बरमसर हाल निवासी सिलवाला खुर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

-वादीया

बनाम

1. फूला पुत्र राउ जाति नायक निवासी बरमसर तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ़। (फौत) वारीस :-
 - 1/1 सुमन पुत्री फूलाराम जाति नायक निवासी बरमसर तहसील पल्लू।
 - 1/2 देवीलाल पुत्र फूलाराम जाति नायक निवासी बरमसर तहसील पल्लू।
 - 1/3 विमला पुत्री फूलाराम जाति नायक निवासी बरमसर तहसील पल्लू।
 - 1/4 पुनम पुत्री फूलाराम जाति नायक निवासी बरमसर तहसील पल्लू।
 - 1/5 प्रमीला पुत्री फूलाराम जाति नायक निवासी बरमसर तहसील पल्लू।
 - 1/6 विनोद पुत्र फूलाराम जाति नायक निवासी बरमसर तहसील पल्लू।
 - 1/7 सुमित्रा पत्नि फूलाराम जाति नायक निवासी बरमसर तहसील पल्लू।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार पल्लू।
3. बलराम पुत्र लेखराम जाति नायक निवासी बरमसर हाल निवासी सिलवाला खुर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
4. भंवरी पुत्री लेखराम जाति नायक निवासी बरमसर हाल निवासी सिलवाला खुर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
5. मंजु पुत्री लेखराम जाति नायक निवासी बरमसर हाल निवासी सिलवाला खुर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
6. महेन्द्र पुत्र लेखराम जाति नायक निवासी बरमसर हाल निवासी सिलवाला खुर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
7. सुर्यादेवी पुत्री लेखराम जाति नायक निवासी बरमसर हाल निवासी सिलवाला खुर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

-प्रतिवादीगण

उपस्थित:- श्री हनुमान शर्मा- वकील वादीया

श्री गौरीशंकर भादू वकील प्रतिवादी सं. 3 ता 7

राजपेरोकार प्रतिवादी सं. 2

निर्णय दिनांक- 27.11.2025

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ संजय कुमार आर.ए.एस. उपखण्डाधिकारी रावतसर के समक्ष उपरोक्त अभिभाषकगण व राजपेरोकार की उपस्थिति में वाद वादीया मुताबिक विभाजन प्रस्ताव डिकी करते हुए घोषणा की जाती है कि:-

1. प्रतिवादी सं. 1/1 ता 1/7 को रोही मौजा बरमसर के ख.नं. 471 की 2.989 है., 720/6 की 2.071 है. भूमि के मुताबिक नजरी नक्शा के,
2. वादीया व प्रतिवादी सं. 3 ता 7 को रोही मौजा बरमसर के ख.नं. 471 की 2.069 है., 720/6 की 1.432 है. भूमि के मुताबिक नजरी नक्शा के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है।

इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे।

आज यह पर्चा डिकी हमारे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 27.11.2025 को जारी की गई।

(संजय कुमार)

सहायक कलक्टर एवं

उपखण्ड अधिकारी

रावतसर

